

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या - 03/2025
उनवान

1. श्यामसिंह पुत्र देरावरसिंह
जाति राजपूत निवासी रामसर
तहसील रामसर।

बनाम

1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0मू0राज0 अधिनियम

आदेश

दिनांक 02.01.2025.

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी श्यामसिंह पुत्र

देरावरसिंह जाति राजपूत निवासी रामसर तहसील रामसर। का खातेदारी खेत खसरा संख्या 03 रकबा 16.7459 हेक्टैयर मौजा खारिया कीता पटवार मण्डल सेतराउ में आये हुआ है। जिसमें सयुक्त खातेदारी में प्रार्थी की माता का नाम रसाल कंवर पत्नी देरावरसिंह की जगह श्री कंवर पत्नी देरावरसिंह भूलवंश दर्ज हो गया। राजस्व रेकर्ड यथा जमाबंदी ओनलाईन करते समय अतः राजस्व रेकर्ड में पुनः सही इद्रार्ज सही नाम रसाल कंवर पत्नी देरावरसिंह करवाने का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 02.01.2025 को प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन आधार पर प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या खसरा संख्या 03 रकबा 16.7459 हेक्टैयर मौजा खारिया कीता पटवार मण्डल सेतराउ के आधार पर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का रसाल कंवर पत्नी देरावरसिंह नाम दुरस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार हस्ताक्षर सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।


यह आदेश आज दिनांक 02.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
रामसर

दिनांक 02.01.2025

क्रमांक : रीडर/2025/20-21
प्रतिलिपि :-

2. तहसीलदार रामसर।
3. प्रार्थी श्यामसिंह पुत्र देरावरसिंह।


उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर